


तारीख
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

09/01/24

पत्रावली डाक पेका हुआ वकील डाकी
उपस्थित विजकीरण महुमस्थिता
विजकीरण के कोर्ट समक में तीन
वार तीन-तीन मोजे दिली गये
बाकस मोजे दिली के विजकीरण
महुमस्थिता का विजकीरण के
विलिय एक तरफ कार्यवाही की
जाती है वकील डाकी के फरवली
पर एक सुनी कडक सला
के खिलाफ जाकर से खेलास
हुकूमत गया। कडक की
पालनार्थ लक्ष्मी जारी है।
पालन जात होने पर शीघ्र
पत्रावली भी जारी सत्रावली
विधाय सुकर होकर दारिदल
इपतर है।


महामहोदय जज, मुंबई

संख्या
दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

पत्र संख्या : 155 / 2023

प्रार्थीगण :-

1. सोनाराम पुत्र लिछमणाराम
जाति पुरोहित निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. जगमालराम पुत्र उदाराम
2. देवाराम पुत्र उदाराम
3. भावाराम पुत्र उदाराम
4. लेहरोदेवी पत्नी उदाराम
कौम राईका निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी
5. भगसिंह पुत्र रिडमलसिंह
6. मांगूसिंह पुत्र रिडमलसिंह
7. रमकू पत्नी रिडमलसिंह
कौम राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण - एकतरफा

--: आदेश ::--


दिनांक :- 09.01.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भूरा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 204/7 रकबा 1.3193 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा आलपुरा पटवार हल्का आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 204/7 रकबा 1.3193 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.24..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी